चाहिये है कि जवाब पेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी बाबत दि. 29/3/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

/3/17 पत्रावली दिनांक 29.3.17 को अवकाश होने के कारण यह पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब कैलादेवी मेले में व्यस्त है। अतः पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 26/4/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

26/4/17 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 24.5.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

19/5/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प गुरदह पर प्रस्तुत हुई। वादीगण मय वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादी नं. 2 व 13 बावजूद तामील उपस्थित नहीं है। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। साक्ष्य वादीगण में वादी बच्चू ने PW1 का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादीगण समाप्त की गई। बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात ख.नं. 3372, 3373, 3379, 3385, 3386 कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम-गुरदह हल्का मण्डरायल वादीगण व प्रतिवादी नं. 12 व 14 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिससे प्रतिवादी नं. 1 ता 11 का कोई सम्बन्ध नहीं है। ख.नं. 3379 पर प्रतिवादी नं. 1 ता 11 ने जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर 15 गज पाटोर ताकत के बल पर निर्माण कर ली है एवं आराजी की दीवार कर ली है। और वादीगण को 1/2 हिस्सा ख.नं. 3379 से बेदखल कर दिया है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2071-74 प्रदर्श-1 प्रस्तुत की है तथा वादीगण ने अपना सशपथ पत्र दिया है। अतः में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श-1 में विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 12 ता 14 के खातेदारी दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 1 ता 11 द्वारा अपने स्वामित्व व खातेदारी का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। ख.नं. 3379 में प्रतिवादी नं. 1 ता 11 का निर्माण करने का कोई हक प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी नं. 1 ता 11 का निर्माण व कब्जा बतौर अतिक्रमी है। उक्त भूमियों पर वादीगण की मौखिक साक्ष्य से वादीगण का कब्जा होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी नं. 1 ता 11 को पाबन्द करने व ख.नं. 3379 के 1/2 हिस्से पर कब्जा वापिस प्रतिवादी नं. 1 ता 11 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। |
| | अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 ता 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से शाश्वत काल तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 3372, 3373, 3385, 3386, कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम- गुरदह के 1/2 हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल व मदाखलत नहीं करें एवं वादीगण, प्रतिवादी नं. 1 ता 11 से ख.नं. 3379 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा ग्राम - गुरदह तह. मण्डरायल का कब्जा वापिस दखल करावर प्राप्त करने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। |
| | [signature] [signature] [signature] |
| | (बैन्च सदस्य) (बैन्च सदस्य) उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल (करौली) |